



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

2025:RJ-JD:38094

S.B. Criminal Miscellaneous Interim Bail Application No. 6386/2025

Manjot Singh S/o Jagtaar Singh, Aged About 24 Years, R/o Ward No.2, Santpura, Police Station Sangariya, District Hanumangarh. (Presently Lodged In District Jail Hanumangarh)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Navneet Poonia
For Respondent(s)	:	Mr. Hahti Singh Jodha, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

21/07/2025

01. प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से अन्तरिम जमानत का यह आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. पुलिस थाना संगरिया जिला हनुमानगढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 462/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 103(1), 85, 238(ए), 316(2) बी.एन.एस. के मामले में अन्तरिम जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।

02. बहस अन्तरिम जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. प्रार्थी-अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस मामले में प्रार्थी अभियुक्त के पिता के घुटने का ऑपरेशन होना है, जिसके लिए दिनांक 28.07.2025 को जनसेवा हॉस्पिटल, डॉ एस.एस. टाटिया मेडिकल कॉलेज, गंगानगर में भर्ती होने के लिए डॉ विक्रम अरोड़ा द्वारा ओ.पी.डी. की पर्ची में निर्देशित किया गया है, जिसकी प्रति अवलोकन हेतु पेश की। जिस हेतु पुत्र धर्म निभाने के लिए 20 दिन के अन्तरिम जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना की गई।

04. विद्वान लोक अभियोजक ने थानाधिकारी, पुलिस थाना संगरिया की रिपोर्ट पेश कर अन्तरिम जमानत प्रार्थना-पत्र पर रिहा किए जाने का विरोध किया।

05. अतः बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री व प्रार्थी-अभियुक्त के पिता जगतार सिंह का प्रार्थी-अभियुक्त ही एक मात्र संतान है एवं



पत्नी बीमार रहती है, इस बाबत रिपोर्ट पेश की। पिता के घुटने का ऑपरेशन करवाना चाहता है यह भी रिपोर्ट में अंकित है। इस मामले में ओ.पी.डी. की पर्ची के मुताबिक दिनांक 28.07.2025 की तारीख हॉस्पिटल में भर्ती होने की दी गई है। जिसको देखते हुए मानवीय दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी-अभियुक्त को 20 दिन तक की अवधि का अंतरिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

06. अतः प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह अंतरिम जमानत आवेदन पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी-अभियुक्त **मनजोत सिंह पुत्र जगतार सिंह** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में रिहाई की तारीख से 20 दिन तक की अवधि के लिए अन्तरिम जमानत पर रिहा कर दिया जावे और पाबंद किया जाए कि 20 दिन के पश्चात संबंधित करागृह में सरेंडर करें।

07. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि प्रार्थी-अभियुक्त संबंधित जेल अधीक्षक के समक्ष नियत तिथि को उपस्थित नहीं होता है तो विचारण न्यायालय उसे गिरफ्तारी वारंट से तलब कर सकेगा।

08. पत्रावली वास्ते देखने पालना आदेश दिनांक 18.08.2025 सूचीबद्ध हो।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J